न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/74

1. रवि आत्मज स्व0 श्री सजला आुय 30 वर्ष जाति धाकड ।
2. दीपू आत्मज स्व0 श्री सजला आयु 22 वर्ष जाति धाकड ।
3. माया पुत्री स्व0 श्री सजला आयु 28 वर्ष जाति धाकड ।
4. कृष्णा पुत्री स्व0 श्री सजला आयु 20 वर्ष जाति धाकड ।
5. लाड बाई पत्नी स्व0 श्री सजला आयु 50 वर्ष जाति धाकड निवासीगण ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

भंवर लाल पुत्र ऊंकार आयु 66 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बृजराज कुमार मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 27.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम समीधी तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 345 में खसरा नम्बर 429 रकबा 3.5191

हैक्टर, खसरा नम्बर 625 रकबा 0.2993 हैकटर कुल किता 02 रकबा 3.5191 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी की मॉ जगन्नाथी बेवा ऊंकार के खातेदारी में दर्ज थी । प्रार्थी की मॉ जगन्नाथी का देहान्त हो चुका है तथा कैलाशी पुत्री ऊंकारी जो प्रार्थी की सगी बहिन है उसकी भी लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है । जगन्नाथी का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी प्रार्थी होने से उक्त सम्पूर्ण भूमियॉ प्रार्थी के अकेले के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य में है । अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं । अप्रार्थीगण को दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 दौराने वाद वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2021 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 27.07.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अपीलान्ट को परेशान करना चाहते हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस करने के लिए बार–बार निवेदन करने के उपरान्त भी तारीख पेशियॉ दी गई और उसके बाद कैम्पों में रूटीन की पेशियॉ देते रहे जानबूझकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस नहीं सुनी गई । अपीलान्ट ने अन्तिम तारीख पेशी के बाद दिनांक 28.03.2022 को समस्त आदेशिका की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 31.03.2022 को प्राप्त होने पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 27.07.2021 को

रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तरिम एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर दी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 अंकित की गई । नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए और अपनी ओर से अभिभाषक को नियुक्त किया । उनके अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र बहस करना चाहा परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा बहस नहीं सुनी जाकर आगामी तारीख पेशी अंकित कर दी गई । अपीलान्ट के अभिभाषक हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहे हैं परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा जानबूझकर बहस नहीं सुनी जा रही है । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनकर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी । उक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट के मन में बदनियति आ जाने से रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी में व्यवधान उत्पन्न करने पर आमादा हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा एक निश्चित समयावधि में दोनों पक्षों की बहस सुनी जाकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । अप्रार्थीगण अपीलान्ट प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं । यदि दौराने वाद उक्त भूमि से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर दिया तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को होगी और उनका परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जावेगा । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश विधि सम्मत है । हम बहस करने का तैयार हैं जबकि अपीलान्ट ने कोई जवाब प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बहाल रखी जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 27.07.2021 को रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तरिम एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 अंकित की गई । परीक्षण न्यायालय ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने के बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 नियत की गई थी । प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जिसकी अपील अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2021 के बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थीगण अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में जरिये

अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया उपस्थित हो गये थे अपीलान्ट का अपील में कथन है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बहस नहीं सुनी जा रही है । परन्तु परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा कोई शीघ्र सुनवाई का या अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो, ऐसा रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर सकते थे । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं कर उक्त अन्तरिम आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है । आदेशिका से भी स्पष्ट है कि दिनांक 24.08.2021 को अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक उपस्थित हुए । उसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 14.10.2021 तथा उसके पश्चात् समीधी में तथा उसके पश्चात् राजकार्य व स्थानान्तरण का अंकन आदेशिका में है । पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा बहस नहीं सुनी जा रही है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वे बहस करने को तैयार हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2021 बहाल जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा